(108)

न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिलाधीश महोदय शाजापुर म0प्र0. R-3171-I/12

लाल खॉ पिता हसन खॉ जाति पिंजारा निवासी ग्राम बरडा तहसील नलखेडा जिला शाजापुर म0प्र0।

----निगरानीकर्ता

विरूद्ध

राजेन्द्रसिह पिता मदनसिह राजपुत निवासी ग्राम बरडा तहसील नलखेडा जिला शाजापुर म0प्र0।

----विपक्षी

निगरानी अन्तर्गत धारा– 50 म0प्र0 भू0रा0स0 विरूद्ध निर्णय एवं आदेश तहसीलदार महोदय नलखेडा के प्र.क्रं. –178/अ/12 /11 – 12 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक–04.06.2012 ।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की और से निगरानी विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार नलखेडा जिला शाजापुर के आदेश से दुखित होकर सूचना प्राप्ति से अवधि अन्दर प्रस्तुत हैः–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1– यहकि विपक्षी राजेन्द्रसिह पिता मदनसिह द्वारा ग्राम बरडा स्थित भूमि सर्वे क्रं.'–190 ,रकबा–0.97 हैक्टर के सीमांकन के सबंध मे आवेदन पत्र प्रस्तुत किया । जिसके परिपालन में तहसीलदार महोदय द्वारा सीमांकन आदेश दिया गया । राजस्व निरिक्षक नलखेडा द्वारा दिनांक–04.06.2012 को उक्त भूमि का सीमांकन किया गया एवं कब्जा अभिस्वीकृती, पंचनामा बनाया गया । उक्त सीमांकन की कार्यवाही में निगरानीकर्ता की भूमि सर्वे क्रं.–179 रकबा–0. 826 प्रभावित हुआ । परन्तु निगरानीकर्ता को सीमांकन के सबंध में ना तो नोंटिस जारी किया गया और ना ही उसे उसका जवाब तलब किया गया । निगरानीकर्ता को दिनाकं–13.07.2012 को जानकारी होने उसके द्वारा दिनाकं–13.07.2012 को सीमाकन संबंधि दस्तावेजो कि प्रमाणित प्रति प्राप्त हुई तथा प्रमाणित प्रति प्राप्त होने पर उसके द्वारा निगरानी प्रस्तुत कि गई ।

R 3191-PMR/12 शाजापुर

लालखां / राजेन्द्रसिंह

19-5-2017	आवेदक की ओर से सूचना उपरांत कोई उपस्थित नहीं। तीन बार पुकार लगवाई गई, फिर भी कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रकरण अदम पैरवी में निरस्त किया जाता है। अध्यक्ष	19/05/11

शाक्षेमुग्वा—714—असराममप्रग्वा—29-2-2012—15,000.